अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0.................................... से .................................... तक

जिला.................................... सं0.................................... सन् 16....................................

केश का प्रकार....................................

| आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3 |
|---|---|---|
| | **न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा**<br>आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 149/2014<br>अपीलार्थी – नीलम कुमारी उर्फ नीलम देवी<br>बनाम<br>रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार एवं अन्य<br><br>**आदेश**<br><br>यह आँगनबाड़ी अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के न्यायालय में (अपीलवाद सं0–23/2013–14) में दिनांक 16.12.2013 को पारित आदेश ज्ञापांक 2302–1 दिनांक 16. 12.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल की गई है।<br>यह आँगनबाड़ी अपीलवाद कहरा ग्रामीण परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत – बनगाँव दक्षिण के आँगनबाड़ी केन्द्र राम टोला केन्द्र सं0– 36 पर आँगनबाड़ी सेविका पद पर चयन में अनियमितता के विरूद्ध नीलम कुमारी उर्फ नीलम देवी पतिः– अशोक कुमार झा द्वारा दाखिल किया गया है।<br>इस अपीलवाद को स्वीकृत करते हुए इस न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता परिवादी के अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया एवं अपना –अपना पक्ष साक्ष्य, एवं कागजात प्रस्तुत किए। अपीलवाद में Respondent –6,7,एवं 8 को भी नोटिस निर्गत किया गया एवं Respondent – 7 का भी लिखित जबाव प्राप्त किया गया। Respondent – 8 ने भी अपनी उपस्थिति एवं पक्ष रखा। इस कार्यालय से भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा को तथ्यातमक प्रतिवेदन की माँग की गई। जो | |

कई स्मार के बाद भी अप्राप्त रहा।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बनगाँव दक्षिणी पंचायत के राम टोला आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका/सहायिका के चयन हेतु दिनांक 03.11.04 को तिथि निर्धारित की गई थी। आवेदिका नीलम कुमारी सहित कुल नौ अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, योग्यता के आधार पर मेघा सूची बनाई गई थी। अपीलार्थी के एम0ए0 पास होने के कारण मेघा सूची के क्रमांक –01 पर थी और आम सभा में दिनांक 03.11.04 को अपीलार्थी का चयन सेविका के पद पर किया गया। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि मुखिया एवं जिला कल्याण पदाधिकारी सहरसा ने मिलकर श्रीमती कामनी कुमारी स्नातक उर्त्तीण का चयन कर प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उच्चाधिकारी को अनियमितता के विरूद्ध शिकायत करने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना में C.W.J.C. No- 6339/2005 दायर किया गया जिसका निष्पादन 31.1.07 को इस निर्देश के साथ हुआ कि जिला पदाधिकारी सहरसा जाँच पड़ताल कर आदेश पारित करें। जिला पदाधिकारी सहरसा ने सुनवाई पश्चात् ज्ञापांक 1474 दिनांक 02.07.07 से अपीलार्थी का चयन हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 16.07.07 से 22.07.07 तक प्रशिक्षण प्राप्ति पश्चात् सी0डी0पी0ओ0 कहरा ग्रामीण के ज्ञापांक 191 दिनांक 03.08.2007 से चयन पत्र नीलम कुमारी को दिया गया। श्रीमती कामना कुमारी ने जिला पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय में अपीलवाद दायर किया जिसका निस्पादन 30.10.09 को किया गया। जिसमें निर्देश दिया कि फिर से चयन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी नीलम कुमारी ने माननीय उच्च न्यायालय में पुनः C.W.J.C. No-1197/2010 दायर किए। जिसमें यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 21.07.10 को पारित किया गया तथा निष्पादन दिनांक 29.07.11 कों किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नये सिरे से चयन करने का आदेश पारित किया गया, श्रीमती नीलम कुमारी ने माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध LPA No- 1789/2012 माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर की, दिनांक 21.07.2012 को आदेश में सभी पक्षकारो को नोटिस करने का आदेश हुआ। उक्त LPA की सूचना नीलम देवी द्वारा सी0डी0पी0ओ0 कहरा ग्रामीण डी0पी0ओ0 सहरसा/डी0एम0 सहरसा/ आयुक्त सहरसा तथा आई0सी0डी0एस0 निदेशालय बिहार पटना को भेजी गई। LPA लंबित रहने की सूचना देने के पश्चात् भी सी0डी0पी0ओ0 कहरा ग्रामीण ने अपने पत्रांक 232

दिनांक 04.09.2012 द्वारा बनगाँव दक्षिण राम टोला के सेविका पद पर चयन की तिथि 13.09.2012 को निश्चित कर नोटिस जारी कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा को आवेदिका ने आवेदन दी तो आयुक्त के ज्ञापांक 1785 दिनांक 19.11.11 के द्वारा आवेदिका को उम्र अधिक होने पर भी चयन में भाग लेने का आदेश दिया गया, तथा आवेदिका को कार्यरत रहने का आदेश दिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कहरा ग्रामीण ने पत्रांक 138 दिनांक 24.05.13 के द्वारा इस केन्द्र पर सेविका के चयन हेतु दिनांक 07.06.13 को आम सभा का तिथि निर्धारित किया गया, जिसमें वार्ड अधारित परिसीमन करने का निर्देश का उल्लघंन कर वार्ड सं0— 01 और 02 के लिए सुयुक्त रूप से आँगनबाड़ी केन्द्र सं0— 36 का गठन कर चयन प्रकिया प्रारंभ की गई और कामना कुमारी को मेपिंग पंजी से बाहर रखा गया। दिनांक 07.06.13 को आयोजित आम सभा की जानकारी वार्ड सदस्य सह अध्यक्ष को नहीं दी गई तथा दिनांक 07.06.13 को ही हंगामा होने के कारण आम सभा बाधित हो गया। आम सभा स्थल पर पुलिस को भी बुलाया गया और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कहरा ग्रामीण द्वारा बिना प्रस्ताव लिखे ही चयन समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य अशोक कुमार झा का हस्ताक्षर जबरन लेकर चले गये, और बाद में श्रीमती कंचन कुमारी पति— श्री निरंजन खाँ का चयन कर लिया गया चयन का आधार यह बनाया गया कि श्रीमती कंचन कुमारी का मेधा अंक 82.55% है जो अन्य अभ्यर्थी से कही ज्यादा है, जबकि उन्हें बताया गया कि कंचन कुमारी के पति— श्री निरंजन खाँ साख्यिकी प्रगणक के पद पर कहरा प्रखंड में कार्यरत है तथा कंचन कुमारी के पति के बड़े भाई श्री प्रमोद खाँ मौजेलाल शर्मा मध्म विद्यालय बनगाँव में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित है एवं श्रीमती कंचन कुमारी के बड़े भाई श्री उदय कुमार झा के पत्नी श्रीमती रंजनी देवी बनगाँव दक्षिणी वार्ड सं0— 05 के निर्वाचित वार्ड सदस्या है। मेधा सूची के अनुसार आवेदिका नीलम कुमारी क्रमांक 3 पर है। आवेदिका ने यह भी बताया कि उन्हें पूर्व मार्ग दर्शिका के अनुसार उच्चतम योग्यता का बोनस अंक भी दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। एवं प्रथम क्रमांक पर कंचन कुमारी का चयन करना विभागीय मार्ग दर्शिका की कंडिका 4.8एवं 4.9 के आलोक में अवैध है तथा दुसरे स्थान पर मसो0 अर्चना कुमारी को अनुकंपा के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में सहायक कम्प्युटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। इस प्रकार इस आम सभा में विभागीय मार्ग दर्शिका के अनुसार कंचन कुमारी का चयन करना

विधि अनुकूल नहीं है। अपीलार्थी द्वारा चयनित सेविका श्रीमती कंचन कुमारी के चयन को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। Respondent–8 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी कंचन कुमारी के संबंध में पक्ष रखा गया उन्होंने बताया कि कंचन कुमारी को सर्वाधिक मेघा अंक 82.55% रहने के कारण आई0सी0डी0एस0 निर्देशालय के पत्रांक 423 दिनांक 03.02.213 के आलोक में सेविका पद पर चयन किया जाना विधिसम्मत है। साथ ही नये सिरे से अपनाई गई चयन प्रकिया के संबंध में पक्ष रखा गया उन्होंने आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा C.W.J.C.No-1197/2010 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2011के विरूद्ध LPA1789/12 का कथन करती है। वहीं दुसरी तरफ नये सिरे से अपनाई गई चयन प्रकिया में अभ्यर्थी भी बनती है, उन्होंने कहा कि नीलम देवी को चयन मेघा अंक न्यूतम रहने के कारण आम सभा द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि चयनित सेविका कंचन कुमारी के पति– श्री निरंजन खाँ कहरा प्रखंड अन्तर्गत साख्यिकी प्रगणक के पद पर चयन हुआ था किन्तु उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् कभी भी अपना योगदान नहीं किया है। अतः यह आरोप सत्य से परे है। उन्होंने आवेदिका द्वारा लगाए गए आरोप कि उनके पति के बड़े भाई श्री प्रमोद खाँ मौजेलाल शर्मा मध्य विद्यालय बनगाँव में सहायक शिक्षक के पद पर है के संबंध में बताया कि उनके पति श्री निरंजन खाँ का अपने बड़े भाई श्री प्रमोद खाँ एवं कृष्णानन्द खाँ के विरूद्ध सनहा आवेदन सं0– 17 दिनांक 04.01.12 तथा लंबित T.S.120/12 का हवाला देते हुए खंडित करती है कि वर्ष 2001 से ही विपक्षी एवं विपक्षी के पति अपने सभी भाई से खान–पान, पूजा–पाठ, कारोबार से पूर्णतः अलग है तथा सम्पति में हिस्सा लेकर मुकदमा बाजी कायम है। साथ ही चयन मार्ग दर्शिका 2006 संशोधित 2011 के प्रवधाननुसार भैसूर के सरकारी सेवा में रहने से किसी भी अभ्यर्थी का दावा अमान्य करार नहीं किया जा सकता है।, अपितु पति, भैसूर, देवर के साथ रहने पर यह लागु होता है अतः विभागीय कंडिका 4.8एवं 4.9 से परे होने की बात यहाँ लागु होनी चाहिए अतः कंचन कुमारी का चयन पूर्णतः वैध है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपीलार्थी एवं Respondent द्वारा किए गए बहस एवं लिखित बहस देखने सुनने के पश्चात् अपना यह पक्ष रखा कि पूर्व में भी विभिन्न स्तरो से पारित आदेश/ निर्देश की विवेचना करना तभी समाप्त हो जाता है जब सी0डी0पी0ओ0 द्वारा उनके ज्ञापांक 232 दिनांक 04.09.2012 द्वारा चयन की तिथि का निर्धारण एवं पूर्व के सभी अपीलार्थी एवं

Respondent इस चयन के प्रकिया में भाग लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व C.W.J.C.No- 1197/2010 पारित आदेश के आलोक में एक अभ्यर्थी कामना कुमारी को परिसीमन क्षेत्र से बाहर रखना विधिसम्मत नहीं है।

दिनांक 07.06.13 को वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में जो आम सभा हुई उसमें सेविका पद हेतु नौ आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें रूवी कुमारी, रोहीनी कुमारी, रोजी कुमारी एवं रीना कुमारी अनुपस्थित रही। उपस्थित अभ्यर्थी के मेधा अंक निम्न था :–

(1) कंचन कुमारी – 82.55%
(2) कामना कुमारी – 78.11%
(3) अर्चना कुमारी – 73.14%
(4) रीना कुमारी – 66.77%
(5) नीलम कुमारी – 66.88%

आवेदिका नीलम कुमारी का मेघा अंक सबसे कम तथा कंचन कुमारी का मेघा अंक सर्वाधिक है इस आधार पर कंचन कुमारी का चयन किया गया। रही बात भैसूर (पति के बड़े भाई) का सरकारी सेवा में रहने का इस संबंध में विभागीय मार्ग दर्शिका 4.8 एवं 4.9 में यह स्पष्ट नहीं है कि यह नियम संयुक्त परिवार पर लागु है या विभक्त परिवार पर लागु है या नहीं स्पष्ट नहीं है

पति के बड़े भाई का सरकारी सेवा में रहने से चयन नियम संगत नहीं होगा। उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय डी0पी0ओ0 सहरसा के आदेश ज्ञापांक 2302–1 दिनांक 16.12.13 को खंडित करती है चूँकि कंचन कुमारी का चयन 4.8 एवं 4.9 विभागीय मार्ग दर्शिका के आलोक मे वैध नहीं है इस संबंध में चयन समिति के अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य द्वारा भी लिखित रूप से कंचन कुमारी के चयन पर आपत्ति दर्ज की गई है।

सुनवाई के क्रम में आवेदिका नीलम कुमारी द्वारा कामना कुमारी को शिक्षक के पद पर संविदा पर नियुक्ति होने,अर्चना कुमारी संविदा पर कम्प्युटर ऑपरेटर के पद पर रहने तथा रीना कुमारी का चयन निर्धारित उम्र सीमा से अधिक होने की बात को दर्शाते हुए अपने को उपरोक्त आधार पर चयन हेतु उपयुक्त बताया गया है,

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह न्यायालय DPO Saharsa द्वारा निर्गत आदेश 2302–1 दिनांक 16.12.2013 को खंडित करते हुए विभागीय निर्देश 4.8 एवं 4.9 के आलोक में

| | | |
|---|---|---|
| | कंचन कुमारी का चयन आदेश निर्गत तिथि से रद्द करती है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि मेधा सूची की वैधता विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत होने के स्थिति में चयन की कार्रवाई उसी मेधा सूची के आधार पर C.D.P.O. कहरा ग्रामीण नियमानुकूल सभी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी का आम सभा आयोजित कर विभागीय नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करेंगे अन्यथा चयन की कार्रवाई विभागीय निर्देश के आलोक में नियमानुकूल शीघ्र की जाय, ताकि आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन बाधित न हो पायें।<br><br>वाद की समाप्ति की जाती है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br>17.3.2015<br>उप निदेशक कल्याण<br>कोशी प्रमंडल, सहरसा<br><br>17.3.2015<br>उप निदेशक कल्याण<br>कोशी प्रमंडल, सहरसा | |